COURT FEE INDIA TEN RUPEES (court fee stamps)

(130)

श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

निगरानी-3400/2018/इंदौर/भू.रा

1. रफीक पिता कमाल जाति नायता

निवासी : ग्राम खतेड़िया बज्जात, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

2. रसीद पिता कमाल जाति नायता

निवासी : ग्राम खतेड़िया बज्जात, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

3. ईस्लाम पिता जमाल जाति नायता

निवासी : ग्राम खतेड़िया बज्जात, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

4. हैदर पिता इस्माईल जाति नायता

निवासी : ग्राम खतेड़िया बज्जात, तह. सांवेर, जिला इन्दौर ....प्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. 4-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-6-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूध्द

शासन तर्फे हल्का पटवारी

ग्राम खतेड़िया बज्जात, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959:-

प्रार्थीगण की और से सदर निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है:-

यह कि, श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय सांवेर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/05/2018 जो कि उन्होनें प्रकरण क्रमांक-06/अ-74/2017-18 मे पारित किया और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रस्तुती हेतु समय दिये जाने के आवेदन को निरस्त कर प्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य-

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन

निरन्तर पेज 2 पर

रफीक इस्लाम

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3400/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	